

# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

क्रमांक:प.14(66)(1)RSSB/अर्थना/मा.शि.वि./पीटीआई ग्रेड-III/पा.जां/2018/ 3399 दिनांक : 2/9/2020

—:: कार्यालय आदेश ::—

पीटीआई ग्रेड-III सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अनुपस्थित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच व दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III सीधी भर्ती परीक्षा हेतु पूर्व में सूचीबद्ध किये गये 1.5 गुणा अभ्यर्थियों में से अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी कट-ऑफ मार्क्स तक उपलब्ध नहीं रहने से अभी भी उक्त श्रेणी में रिक्त रहे पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का चयन किये जाने हेतु उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को पूर्णतया अस्थाई एवं अनन्तिम (Purely Provisional) रूप से पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया था, जिनकी पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन दिनांक 08.09.2020 से 09.09.2020 तक किया गया था तथा उक्त दिनांक को अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को पुनः दिनांक 16.09.2020 को दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच हेतु अवसर दिया गया था। परन्तु उक्त दिवसों में दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध आमंत्रित अभ्यर्थियों में से संलग्न सूची अनुसार अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। जिनको पुनः अंतिम बार दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच हेतु अंतिम अवसर दिया जाना है। अतः उपरोक्तानुसार दिवसों में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नानुसार अपने रोल नम्बर के सामने अंकित दिनांक व स्थान पर प्रातः 10.30 बजे से सायं 05.00 बजे तक पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु विस्तृत आवेदन (दो प्रतियों में) एवं मूल दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच हेतु पुनः अवसर दिया जाना संभव नहीं होगा एवं उनके स्थान पर वरियता से अन्य पात्र अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जायेगा:-


अनुसूचित क्षेत्र के अस्थाई एवं अनन्तिम रूप से सूचीबद्ध अभ्यर्थी पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु

स्थान	रोल नम्बर	दिनांक
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर	500136 501293 503492 506129 507776 509883 512598 513712 515256 517809 518487 522043 522863 500179 503581 505280 506261 510211 512689 513828 515404 516752 517637 518093 518581 522604 500198 503051 507935 509605 514673 515615 516826 518445 501599 503320 504134 508518 509743 512355 514741 515692 518691***	28.09.2020

पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखे :-

1. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III सीधी भर्ती परीक्षा-2018 हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 09/2018 दिनांक 04.05.2018 के विंदु संख्या 21 में अंकित टिप्पणी-III के क्रम में:-
  - क. क्रीड़ा प्रमाण-पत्रों पर तब ही विचार किया जायेगा यदि वे राजस्थान क्रीड़ा परिषद के सचिव या संस्थान के प्राधान द्वारा इस उल्लेख के साथ सत्यापित किये गये हो कि भाग लेने वाला संस्था का नियमित छात्र है।
  - ख. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में भारतीय विद्यालय खेल परिसंघ, विश्वविद्यालय क्रीड़ा संघ या भारतीय क्रीड़ा परिसंघ के माध्यम से भाग लेने या अर्जित स्थान के क्रीड़ा प्रमाण-पत्र पर तब ही विचार किया जायेगा जब वह संबंधित परिसंघ/संघ द्वारा सत्यापित हों।
2. विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट <http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in> पर "अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिये आवश्यक निर्देश" एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के लिये दिनांक 04.05.2018 को जारी विज्ञप्ति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र एवं निर्देश तथा विस्तृत आवेदन का प्रारूप मय प्रपत्रों के बोर्ड की वेबसाइट <http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।

3. विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में अलग-अलग लाना है। विस्तृत आवेदन की फोटोप्रति स्वीकार नहीं की जायेगी। विस्तृत आवेदन की एक प्रति के साथ 100/रु. का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम से संलग्न करना है।
4. शैक्षणिक योग्यता, आयु, श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग), विशेष श्रेणी(भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी, विशेष योग्यजन, अनुसूचित क्षेत्र), खेल प्रमाण पत्र, चरित्र, वैवाहिक स्थिति(विधवा, परित्यक्ता), संतान संबंधी, सेवारत होने संबंधी मूल प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लावें।
5. विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण-पत्रों एवं दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

  
(डॉ. मुकुट बी. जांगिड़)  
सचिव